यू०एस० तोमर
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय
आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021
दूरभाष: 0522-2732193 फैक्स: 0522-2732185

पत्रांक: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2010/58878-82
दिनांक 8-2-2010

सेवा में,

निदेशक,
राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट,
मथुरा

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 1945/ सोलह-1-2009-13(5)/2009 दिनांक 24 जुलाई 2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28 जुलाई 2009 मे, राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, मथुरा को एम.बी.ए. पाठ्यक्रम 120 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु दिनांक 1-7-2009 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बंधित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गयी फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदशित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वत: निरस्त हो जायेगा।

6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2010.11 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नही है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बंध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बंधित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
9. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू0एस0तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू0एस0तोमर)
कुलसचिव

यू०एस० तोमर
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021
दूरभाष: 0522-2732193 फैक्स: 0522-2732185

पत्रांक: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2010/60123-27
दिनांक 10-2-2010

सेवा में,

निदेशक,
राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट,
मथुरा

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 1949/ सोलह-1-2009-13(7)/2009 दिनांक 25 जुलाई 2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28 जुलाई 2009 मे, राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, मथुरा को एम.सी.ए. पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु दिनांक 1-7-2009 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बंधित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गयी फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदशित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वत: निरस्त हो जायेगा।

6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2010.11 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बंध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बंधित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
9. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू0एस0तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू0एस0तोमर)
कुलसचिव

डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्राकः सम्बद्धन/4091/10
दिनांकः 11/03/10

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,
राजीव एकेडेमी फॉर टैक्नोलौजी एण्ड मैनेजमेंट,
मथुरा।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या सम्ब0-2423/सत्तर-2-2009-2(720)/2008 लखनऊ दिनांक 16.09.2009 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2007) की धारा 37(2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गते स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत एम0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र 2008-2009 से आगामी एक वर्ष हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित पॉच शर्तो के अधीन 25 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम/विषयों मे सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 16.09.2009 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा -37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश सख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एंव इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एंव विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता कोसुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अर्न्तगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयार्न्तगत पूर्ण नही करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अर्न्तगत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

11.3.10
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)

11.3.2010

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः-
1-सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
2-निजी सचिव कुलपति।
3-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल,जिला पंचायत परिसर,बालूगंज,आगरा।
4-अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२६१३२

संख्या-ई.स./ 2095 /जी.एस.
दिनांक 2/9/~~अगस्त~~,२००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा०भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-ऐफिल/५०५ दिनांक १३.८.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के अधीन राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट,मथुरा को स्नातकोत्तर स्तर पर एम.लिब. एण्ड इन्फोरमेशन साइंस पाठ्यक्रम में (साठ सीट की प्रवेश क्षमता) स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (९२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव,उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,उ०प्र०१८-ए,न्याय मार्ग,इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
४. सचिव ,राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट, मथुरा

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

सतीश चन्द्र शर्मा
कुलसचिव

कार्यालय : 2852118,
फैक्स : 2521001

**डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,
आगरा**

पत्रांकः सम्बद्धता/2071/2007

दिनांकः 20.11.2007

सेवा में,

निदेशक,

राजीव ऐकेडमी फार टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट,

मथुरा

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र सं0 सम्बद्धता/2070/2007 दिनांक 02.11.2007 का आंशिक सन्शोधन करते हुये सूचित किया जाता है कि बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में दो अतिरिक्त सेक्शन वृद्धि की अनुमति सत्र 2007-08 से प्रभावी रहेगी।

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

(सतीश चन्द्र शर्मा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. वित्त अधिकारी।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा।
3. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय।
4. कुलपति कार्यालय।
5. कार्यालय अधीक्षक प्रकाशन विभाग।

कुलसचिव

पी.बी एक्स : 2852373,2852374, 2852046
फैक्स : 2321001

डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्बद्धता/2070 /2007
दिनांक : 2/11/2007

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/सचिव,
राजीव ऐकेडमी फार टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट,
मथुरा

विषय : बी0बी0ए0 एण्ड बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2007-2008 के लिए अतिरिक्त सैक्शन/कक्षाओं को आरम्भ करने की अनुमति ।

महोदय,

कृपया शैक्षिक सत्र 2007-2008 के लिए अतिरिक्त सैक्शन/कक्षाओं के संचालन की अनुमति के लिये अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 18-7-2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त के सन्दर्भ में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2007-2008 हेतु निम्नलिखित कक्षाओं में उनके समक्ष अंकित निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त सैक्शन/कक्षाऐं चलाने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की गई है :-

बी0बी0ए0 अतिरिक्त दो सैक्शन
बी0सी0ए0 अतिरिक्त दो सैक्शन

1- यह अनुमति केवल वर्तमान सत्र 2007-2008 के लिए ही अनुमन्य होगी ।
2- ऐसी सभी कक्षाओं में प्रवेश पर शासनदेशों के अनुरूप आरक्षण के नियम अक्षरशः लागू होगें।
3- अतिरिक्त कक्षाओं के संचालन हेतु शैक्षिक स्टॉफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा समस्त नियुक्त किये गये अतिरिक्त शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराना अनिवार्य होगा ।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से समय-समय पर जारी अन्य आदेशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1- वित्त अधिकारी ।
2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा
3- सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय ।
4- कुलपति कार्यालय ।
5- कार्यालय अधीक्षक प्रकाशन विभाग ।

कुलसचिव

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 4055 /जी.एस.
दिनांक 22/6/ २००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा०भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-/ एफिल/४१११/२००४, दिनांक १३.५.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के अधीन राजीब एकेडमी फार टैक्नोलोजी एण्ड मैनेजमेट महाविद्यालय, मथुरा को स्नातक स्तर पर बी.बी.ए. तथा बी. सी.ए. पाठ्यक्रमों में (प्रत्येक में दो सेक्शन हेतु)स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (९२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(आर.के.सक्सेना)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव,उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,उ०प्र०१८-ए,न्याय मार्ग,इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद
४. प्रबन्धक, राजीब एकेडमी फार टैक्नोलोजी एण्ड मैनेजमेट महाविद्यालय, मथुरा

(आर.के.सक्सेना)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 1474 / सी.एस.
दिनांक: 13/9 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

आपके पत्रांक–एफिल / २२६ / २००६ दिनांक १५–०७–२००६ के सदर्भ मे मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलोजी एण्ड मैनेजमेन्ट, मथुरा को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी०काम० (ई० कामर्स) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१ / सत्तर–३–२००३–१६ (६२) / २००२, दिनांक २ जुलाई २००३ मे उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत् संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– प्रबन्धक / प्राचार्य, राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलोजी एण्ड मैनेजमेन्ट, मथुरा ।

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./2267/जी.एस.
दिनांक 10/9/~~अगस्त~~, २००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा०भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-ऐफिल/५०२/०३ दिनांक १३.८.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के अधीन राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मेनेजमेंट,मथुरा को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर साइंस विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००३ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जावेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव,उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,उ०प्र०१८-ए,न्याय मार्ग,इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
४. सचिव , राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मेनेजमेंट,मथुरा

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 3952 /जी.एस.
दिनांक 9/6/ २००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा०भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- एफिल/१५६६/२००४, दिनांक १७.५.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) प्रावधानों के अधीन राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट, मथुरा को स्नातक स्तर पर बी.लिब.एण्ड इन्फारमेशन साइंस पाठ्यक्रम में साठ सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (९२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

२ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(आर.के.सक्सेना)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए,न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
४. सचिव, राजीब एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट, मथुरा

(आर.के.सक्सेना)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

2306
संख्या-ई.स./ /जी.एस.
दिनांक 10 सितम्बर,२००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा०भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-जेओसी/एफिल/४६६/२००३, दिनांक १३.८.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के अधीन राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट,मथुरा को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.एड.पाठ्यक्रम में सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

४. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६(६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

५. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
१. सचिव,उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,उ०प्र०१८-ए,न्याय मार्ग,इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
४. क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,३६-ए,शान्तिपथ,तिलकनगर,जयपुर
५. सचिव,राजीव एकेडमी फार टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट,मथुरा

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव